कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर

Web Site – ada.rajasthan.gov.in
Tel. No. – 0145-26277748, 2627749

E-Mail – ajmerada@gmail.com

क्रमांकः अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2025/M1099/241 दिनांकः 22.05.2025

श्री हरपाल चौधरी पुत्र श्री करण सिंह
निवासीः– 25, 26 ईदगाह रोड,
वैशाली नगर, अजमेर।

विषयः– **राजस्व ग्राम माकडवाली (जोन उत्तर) के खसरा संख्या 5887/1923 कुल क्षेत्रफल 4208.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना के तहत ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत्।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम माकडवाली (जोन उत्तर) के खसरा संख्या 5887/1923 कुल क्षेत्रफल 4208.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 07/2024वीं बैठक दिनांक 25.10.2024 में प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले–आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तो की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगाः–

1. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में कोई निर्माण नही होने की सुनिश्चितता उपरान्त पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावेगी।
2. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जावें।
3. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानो की सुनिश्चित्त् आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
4. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
5. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यंत्र सडक के सहारें शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चिता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
6. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डो के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टो के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by M[illegible]ender Chaudhary
Designation : [illegible]r Planning
Date: 2025.05.[illegible]6:38:25 IST
Reason: Approved

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर
Web Site – ada.rajasthan.gov.in
Tel. No. – 0145-26277748, 2627749
E-Mail – ajmerada@gmail.com

9. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
10. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नही है इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
11. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।

स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित हैं।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

Signature valid
Digitally signed by M[illegible]ender Chaudhary
Designation : [illegible]r Planning
Date: 2025.05.[illegible]6:38:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15483147
D:\May 2024 to Current Work\Ankit Sir Work\All LP, BP, CLU Meeting Folder\LP Meetings 2025\Layout approval letter 2025.docx

LAYOUT-PLAN

SCALE - 1CM = 6M

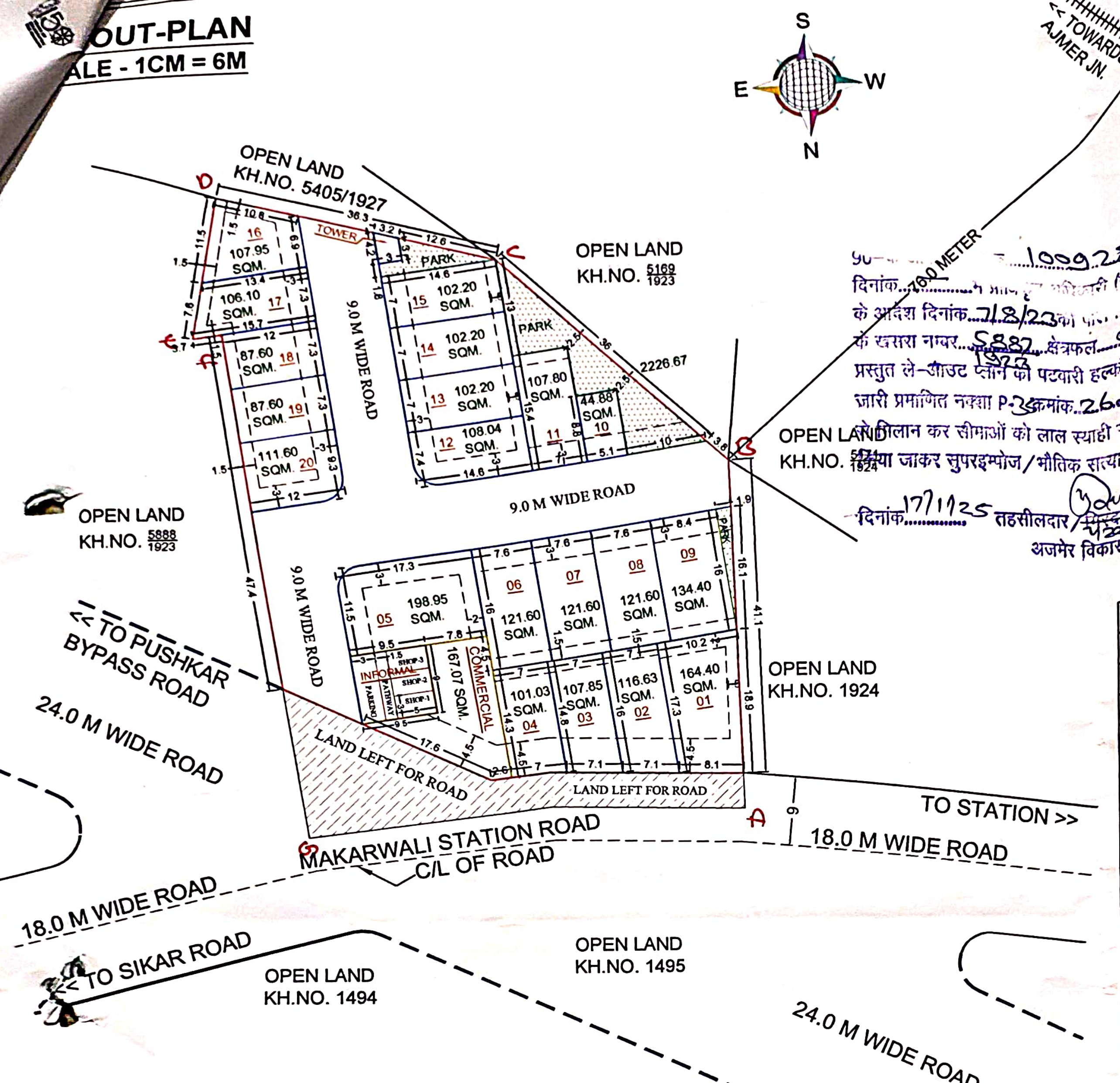

प्रमाणित ... 100928
दिनांक ... के ... के आदेश दिनांक 7/8/23 ...
के खसरा नम्बर 5887/1923 क्षेत्रफल 0.4208 ...
प्रस्तुत ले-आउट प्लान की पटवारी हल्का ... दिनांक 22.5.23
जारी प्रमाणित नक्शा P-3 क्रमांक 260 ... से मार्क A से G ...
से मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से
किया जाकर सुपरइम्पोज/भौतिक सत्यापन किया गया।
दिनांक 17/1/25 तहसीलदार/ ... /प्रभारी भू-अभिलेख
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

PLOT NO.	AREA (IN SQM)
P.NO. 01	164.40
P.NO. 02	116.63
P.NO. 03	107.85
P.NO. 04	101.03
P.NO. 05	198.95
P.NO. 06	121.60
P.NO. 07	121.60
P.NO. 08	121.60
P.NO. 09	134.40
P.NO. 10	44.88
P.NO. 11	107.80
P.NO. 12	108.04
P.NO. 13	102.20
P.NO. 14	102.20
P.NO. 15	102.20
P.NO. 16	107.95
P.NO. 17	106.10
P.NO. 18	87.60
P.NO. 19	87.60
P.NO. 20	111.60
TOTAL	2256.23 SQM.

NOTE:-

PROPOSED SITE SHOWN IN RED.

TOTAL AREA OF PLOTS	=	2256.23 SQM. =	53.62 %
TOTAL AREA OF COMEERCIAL LAND	=	167.07 SQM. =	03.97 %
TOTAL AREA OF INFORMAL LAND	=	85.50 SQM. =	02.03 %
TOTAL AREA OF PARK	=	210.53 SQM. =	05.00 %
TOTAL AREA OF ROAD	=	1019.01 SQM. =	24.22 %
LAND LEFT FOR ROAD	=	458.82 SQM. =	10.90 %
TOTAL AREA OF TELECOM TOWER	=	10.84 SQM. =	00.26 %
TOTAL AREA OF LAND	=	4208.00 SQM. =	100.00 %

'A' NOTE:- RECEIVED LAYOUT FORWARDED AS IT IS, AS DECISION ALREADY BEING TAKEN BY PREVIOUS OFFICERS, AND BPC(LP) COMMITTEE.

Er. ... Khandelwal APPROVED ARCHITECT A.D.A. & Nagar Nigam, AJMER ARCHITECT	PATWARI	TEHSILDAR	8/5/25 Signed as per note 'A' DIR.PLANING निदेशक आयोजना अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर
APPLICANT	JEN	08/05/2025 सहायक नगर नियोजक अ.वि.प्रा., अजमेर A.T.P.	उपायुक्त ... Y.COMMISSIONER

LAYOUT-PLAN SHOWING LAND OF KH.NO. 5887/1923 SITUATED AT REV. VILLAGE-MAKARWALI, AJMER.

BELONGS TO :- SH. HARPAL CHOUDHARY S/O SH. KARAN SINGH